भूमि सुधार के तहत किसानों की आय दोगुनी करने की ओर एक कदम

जल–भराव तथा लवणता की दोहरी समस्या उत्तर पष्चिम भारत के मुख्य भाग (पंजाब, हरियाणा व राजस्थान) में कृशि उत्पादन की निरंतरता के लिए खतरा पैदा कर रही है। तेजी से बढता जल स्तर और उत्पादक कृशि भूमि के लिए खतरा पैदा कर रही है। यह समस्या और भी विकराल हो गई है, क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र में पानी खारा तथा लवणीय है। खेतों में प्रवाहित सिंचाई (थ्सववक प्ततपहंजपवद) तथा नहरों से रिसाव राज्य के इन क्षेत्रों में जहां पानी खारा तथा लवणीय है, भू–जल का संतुलन बिगड़ रहा है (राज्य का लगभग 65 प्रतिषत है)। विभाग के भू–जल कोश के जून 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में लगभग 982740 एकड़ भूमि जल–भराव तथा लवणता से प्रभावित है, जिससे 174470 एकड़ भूमि बुरी तरह से प्रभावित है (भू–जल स्तर 0–1.5 मीटर)। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य में वर्श 2021–22 के दौरान एक लाख एकड़ भूमि के सुधार की घोशणा की है। विभाग द्वारा चार जिलों रोहतक, सोनीपत, झज्जर तथा चरखी दादरी में जल ग्रस्त तथा लवणीय भूमि का आई सर्वेक्षण करवाया गया है।

उददेष्यः

1– राज्य में सामान्तर उप स्तहीय/उर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली (नइ नतबिमध्टमतजपबंस क्तंपदंहम लेजमउ) का निर्माण तथा संचालन।
2– उप स्तहीय/उर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली की प्लानिंग, निर्माण, संचालन तथा रख–रखाव में किसानों की भागीदारी।
3– उप स्तहीय/उर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली के परियोजना क्षेत्र से लवणीय पानी की पर्यावरण अनुकुल निकासी।
4– सुधार की गई भूमि की उत्पादकता का संरक्षण।

जल ग्रस्त एवं लवणीय भूमि सुधार की विभिन्न तकनीकः

1– उप स्तहीय /उर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली (नइ नतबिमध्टमतजपबंस क्तंपदंहम लेजमउ) – जहां भूजल ज्यादा खरा है वहां पर सामान्तर उप स्तहीय जल निकासी प्रणाली का निर्माण।
2– उर्ध्वाधर जल निकासी प्रणाली–जहां भूजल कम खारा है, वहां पर उथले टयूब्वैल (ींससवू जनइमूमसस) का निर्माण।
3– समग्र जैव जल निकासी प्रणाली (प्दजमहतंजमक ठपव.क्तंपदंहम लेजमउ) – पौधो तथा फलदार वक्ष, नमक प्रतिरोधी किस्मों का लगाना।
4– मछली–पालन।
5– केन्द्रीय मृदा लवणता संस्थान, करनाल, सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करके यह तय करेगा कि उपरलिखित में से कौन सी प्रणाली लागू की जाएगी।

पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन के नियम एवं षर्तेः

1– वह किसान जिनकी भूमि इस परियोजना क्षेत्र में आती है, वो विभाग के पोर्टल पर आवेदन करेंगे।
2– किसान को अपना पूर्ण विवरण, लिखित सहमति, राजस्व रिकार्ड, बैंक का ब्यौरा इत्यादि पोर्टल पर देना होगा। केवल जमीन के मालिक के आवेदन पर विचार किया जावेगा।
3– पोर्टल पर आवेदन के समय किसान को 1000/– रूपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, जो कि किसान हिस्से के रूप में समायोजित की जावेगी।

4– विभाग–क्षेत्र तय करेगा (गांव के कलस्टर) जहां पर भूमि सुधार का कार्य किया जावेगा। एक कलस्टर में कम से कम 250 एकड़ जलग्रस्त एवं लवणीय भूमि होनी चाहिए तथा 100 प्रतिषत किसानों की सहमति होनी चाहिए।

5– मई–जून में जहां 0–1.5 मीटर जल–स्तर होगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी। सुझाए क्षेत्र में लवणीय पानी की निकासी के लिए खुला नाला होना चाहिए।

6– किसानों से अनुरोध है कि वो भूमि सुधार के लिए अपनी स्वेच्छा दे तथा जलग्रस्त तथा लवणता से प्रभावित भूमि के सुधार के कुल खर्च का 20 प्रतिशत हिस्सा दे जो कि लगभग उपस्तरीय जल निकासी प्रणाली के लिए लगभग 9000/– रूपये तथा उर्ध्वाधर प्रणाली के लिए 7000/– रूपये बनती है। विभाग सभी किसानों की सहमति तथा कार्य के लिए अच्छी स्थिति उपरान्त कार्य षुरू करेगा।

7– परियोजना के सभी किसानों की सहमति मिलने और अनुकूल कार्य दषाओं के बाद ही विभाग कार्य षुरू करेगा।

8– यदि क्षेत्र विषेश के सभी किसानों की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो भूमि सुधार कार्य षुरू नहीं होगाा और किसान द्वारा जमा किया गया पंजीकरण षुल्क उसके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा, जिसका विवरण पंजीकरण के समय प्रस्तुत किया गया था।

9– ड्रेनेज सिस्टम लगाने के दौरान यू.जी.पी.एल., सिविल स्ट्रक्चर आदि को होने वाला कोई भी नुकसान किसान अपने आप वहन करेगा। नुकसान का कोई मुआवजा कृशि विभाग नहीं देगा।

10– परियोजना क्षेत्र के किसान पम्प हाउस व अन्य नागरिक संरचनाओं के निर्माण के लिए सहमति व जमीन देंगे।

11– विभाग पंजाब लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, 1963 के अनुसार कार्य करेगा और किसी भी तरह के विवादो का निपटान इसी एक्ट के अनुसार होगा।

12– किसानों द्वारा उनका अंष हरियाणा खजाना विभाग के माध्यम के प्राप्ति षीर्श में करवाया जाएगा और चालान की प्रति उप परियोजना निदेषक (एच.ओ.पी.पी.) करनाल के कार्यालय में जमा करेगा।